भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 838
जिसका उत्तर बुधवार 23 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

उद्योगों की विकास दर

838. श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारी इंजीनियरी उपस्कर और मशीन औजारों, ऑटोमोटिव्स, भारी इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी आदि जैसे विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रत्येक की विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में क्षेत्र-वार दर्ज की गई विकास दर कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान मशीन औजार, अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आदि में वर्ष-दर-वर्ष दर्ज की गई विकास दर निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

खंड	2013-14	2014-15	2015-16 (अनुमानित)
मशीन औजार	3,481 -10.40%	4,230 21.52%	4,727 11.75%
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	16,000 -3.61%	17,000 6.25%	19,375 13.97%
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट	128,823 -4.13%	136,953 6.31%	144,861 5.77%

(स्रोत: उद्योग संघ)

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग के उत्पादन में विकास दर निम्नवत है:-

(सं. हजार में)

2013-14	2014-15	2015-16	2016- 17 अप्रैल से अक्तूबर
21,500	23,358	23,960	15,791

(ख): केपिटल गुड्स उद्योग के लिए ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ऑटोमोबाइल उद्योग को जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। यात्री कार को 1993 में लाइसेंस मुक्त किया गया था। यात्री कारों सहित वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछले वर्षों में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात के लिए भी मानकों को क्रमिक रूप से उदार बनाया गया है ताकि इस सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। अतः भारी उद्योग विभाग में केन्द्रीकृत रूप से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ): सरकार ने भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि के लिए नवंबर, 2014 में एक स्कीम शुरू की है; जिसमें (1) प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, (2) एकीकृत औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा अर्थात् औद्योगिक पार्क, (3) साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र और (4) परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की स्थापना करने जैसे अवसंरचनात्मक संघटक शामिल हैं। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति/अंतरण प्रौद्योगिकी अधिप्राप्ति निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप का प्रावधान भी है। इस स्कीम का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग की संभावनाओं को साकार करने की दृष्टि से हाल ही में इस वर्ष के प्रारंभ में 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति शुरू की है। विस्तृत स्कीम भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

इस नीति का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर देखा जा सकता है।

जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर का संबंध है जब भी आवश्यक होता है ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडियन ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ बातचीत करती है। भारी उद्योग विभाग अगली 10 वर्षों की योजना अवधि में विकास एवं प्रोत्साहन में सहायता करने हेतु ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 पर कार्य कर रहा है।

******